RJPP, Vol. 15, No. 1, 2017

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

RJPP
REVIEW JOURNAL OF
POLITICAL PHILOSOPHY
A Peer Reviewed International Journal

महिला सशक्तीकरण के माध्यम के रूप में नवीन पंचायती राज व्यवस्था

जितेन्द्र पाण्डेय
शोध छात्र
राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, (म.प्र.)
ईमेल–jpsanjit@gmail.com

अतीत कालीन भारत का सामाजिक–सांस्कृतिक इतिहास इस तथ्य का साक्षात प्रमाण है कि भारत में सदैव ही नारियों को सम्मान प्रदान किया गया है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान नारी शक्ति के बिना सम्भव नहीं। अतः स्त्री सर्वशक्तिसम्पन्न मानी गयी तथा विद्या, यश और सम्पत्ति की प्रतीक समझी गयी। भारत में नारी बिन पुरुष अपूर्ण और अधूरा समझा जाता है। भारतीय संस्कृति में यह मान्यता हमेशा मान्य रही है कि नारी नर की शक्ति है, नर नारी के द्वारा ही शक्तिमान होता है। इस प्रकार नारी अक्षय शक्ति की स्रोत है। शक्ति के बिना शक्तिमान कोई अस्तित्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, नारी सेवा और त्याग की मूर्ति है, जो अपना बलिदान देकर, अपने अस्तित्व को समाप्त कर नर में शक्ति का बीजारोपण करती है।

भारत में स्त्री–पुरुष की 'शरीर्थ' और अर्द्धांगिनी मानी गयी तथा 'श्री' और 'लक्ष्मी' के रूप में वह मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि से दीप्त करने वाली कही गयी। राष्ट्र की नारियाँ पत्नी के रूप में पुरुष को साहस प्रदान करती हैं, माता के रूप में भावी सन्तति को इस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वे आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और श्रेष्ठ आचरण का अनुगमन कर आदर्श नागरिक बन सकें। इन्हीं सब कारणों से हमारे समाज में नारियों को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी मानकर आराधना की जाती रही है। यह स्थिति वैदिक काल तक रही है। वैदिक आर्यों के बीच नारी की स्थिति इतनी ऊँची थी कि आज 21वीं शताब्दी में संसार का अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र भी नहीं कह सकता कि उसने नारी को उतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है।

अतः समय के साथ उत्तर वैदिक काल में नारी शक्ति को मर्यादित किया गया जिससे नारी की दीन स्थिति ही बनी। भारतीय वैदिक संस्कृति '**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता**' का स्थान उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित होकर '**न स्त्री स्वतंत्रमर्हति**' में बदल गया।[1] आर्यों की नारी सम्बन्धी धारणाओं के साथ आर्यतरों की धारणाएँ जोड़नी पड़ी। इन दोनों का प्रतिफल महाभारत और मनुस्मृति इत्यादि में मिलता है। इस युग में स्त्रियाँ कहीं उच्च और कहीं हीन स्थिति में देखी जा सकती हैं।

प्राचीन भारतीय साहित्य में एक तरफ यह उल्लेख मिलता है कि नारियों को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी मानकर आराधना होती थी, तो दूसरी तरफ नारी को अबला, पराश्रित नियति का दो टूक दर्शाया गया है– '**स्त्री जन्म से मृत्यु तक पिता, पति एवं पुत्र पर अवलम्बित होती है।**'[2] अतः प्राचीन काल में उत्तर वैदिक काल से नारियों का पतन प्रारम्भ होता है। सूत्रों, महाकाव्यों एवं स्मृतियों के काल तक उनकी दशा निरन्तर शोचनीय होती गयी। यह काल उदारता से बहुत दूर सामाजिक, धार्मिक संकीर्णता का युग था। पति ही स्त्री के लिए देवता है। कन्या का विवाह दस से बारह वर्ष की आयु में करने का विधान बनाया गया। अतः समाज में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन बढ़ा जो स्त्रियों की परतंत्रता का मुख्य कारण सिद्ध होता है। बहुपत्नी प्रथा का विकास हुआ, सती प्रथा का प्रारम्भ हुआ। विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने से समाज में अनैतिकता एवं वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिला जो भारतीय समाज के लिए एक विडम्बना है।[3]

उन्नीसवीं सदी का प्रारम्भ स्त्रियों की निम्न स्थिति सुधारने की चेतना के साथ प्रारम्भ हुआ क्योंकि स्त्रियों की दिनोदिन गिरती हुई स्थिति ने समाज के कुछ बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया और उन्हें समाज में समुचित सम्मान दिलाने के लिए सामाजिक सुधार आन्दोलन का नेतृत्व करने को बाध्य कर दिया। इस दिशा में राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द

सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। राजाराम मोहन राय द्वारा किये गये प्रयत्नों से सती–प्रथा का अन्त हुआ। इसी प्रकार दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कराने का प्रयत्न किया। ईश्वरचन्द विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में जब कुछ विधवाओं से साक्षात्कार लिए तो उन्होंने यह विचार व्यक्त किया– "भारतीय संस्कृति में नारी एक बार जन्म लेती है, एक बार विवाह करती है तथा एक बार मरती है, इसलिए पुनर्विवाह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।" किन्तु उनके प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ।[4]

इन समाज सुधारक आन्दोलनों के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता, महिला आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भी भारतीय नारियों की शोचनीय स्थिति को सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला आन्दोलनों के प्रवर्तकों में रमाबाई, मैडम कामा, तेरुदत्त तथा स्वयंकुमारी देवी ने भी स्त्रियों को शिक्षित करने, विधवाओं की दशा सुधारने के लिए परूना सेवा सदन एवं नरसिंह मेडिकल एसोसिएशन स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त एनीबेसेन्ट मार्ग्रेट कुशमल आदि महिलाओं ने अपना सबल एवं कुशल नेतृत्व प्रदान कर भारतीय स्त्री जागरण आन्दोलनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन सबके प्रयत्नों से भारतीय महिला समिति एवं अखिल भारतीय महिला फेडरेशन की स्थापना हुई। महर्षि डी.के. कार्वे ने 1907 में महिला विद्यालय की स्थापना की तथा 1915 में देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। इससे भारतीय नारियों में सामाजिक चेतना आयी और उन्हें उच्च शिक्षा मिली। इन सब स्थितियों के बाद भी स्वतंत्र भारत की सरकार ने समय–समय पर अनेक अधिनियमों को पारित कर नारियों को शोषण एवं अत्याचार से बचाने का प्रयास किया है।[5]

समय के साथ बढ़ रही चेतना ने जागरूकता, धार्मिक आदर्शों के प्रति क्षोभ, शैक्षणिक महत्त्वाकांक्षा एवं राष्ट्रीय प्रावधानों, संघर्ष के अनुभवों के माध्यम से नारियों को हिन्दू आदर्शों का पुनर्विवेचन करने को बाध्य किया है। डॉ. प्रमिला कपूर ने स्पष्ट लिखा है कि भारत का शिक्षित वर्ग विशेषतः युवा शिक्षित महिला वर्ग देश में सामाजिक क्रान्ति, परिवर्तन और चेतना लाने तथा लोगों के दृष्टिकोण, विचारधारा और कार्यकलाप बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यही वर्ग भारतीय नारी में जागृति ला सकता है और ला रहा है। के.एम. पणिकर ने लिखा है– "सम्पत्ति में पुत्री, पत्नी एवं विधवाओं द्वारा बँटवारे की क्रान्ति की आशंका है। नयी परिस्थितियों ने नयी समस्याएँ खड़ी कर दी हैं।"[6]

स्वतंत्र भारत में अनेक ऐसे क्रान्तिकारी अधिनियम पारित हुए हैं जिसने नारियों की स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिकार प्रदान किये गये हैं। साथ ही जहाँ एक ओर हमारे पास अत्यन्त ही आधुनिक कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं जो सिद्धान्ततः महिलाओं का स्थान पुरुषों से भी ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं वहीं दूसरी ओर जीवन के अन्य क्षेत्रों में आज भी उतना ही प्रतिबन्ध है अर्थात् सामाजिक क्षेत्र में आज भी अनेक रूढ़िवादी मान्यताओं के द्वारा स्त्रियों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। अतः यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नारी को शिक्षा एवं उसकी नयी स्वाधीनता की श्रेष्ठता के पुराने संस्कारों से उसे आज भी नहीं मुक्त कर पा रही है।[7]

आजादी के बाद राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति पर विचार करने के बाद 'कमेटी ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन ऑफ इण्डिया' (1975) ने कहा था –"समाज और राजनीति में महिलाओं की स्थिति बताती है कि संविधान में उन्हें पुरुषों के समकक्ष दर्जा देकर जिस क्रान्ति की आशा की गयी थी, वह अब भी बहुत दूर है। ज्यादातर महिलाओं के पास अभी ऐसे प्रवक्ता नहीं हैं जो उनकी विशिष्ट समस्याओं को समझ सकें तथा राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी समस्याओं को उठाने और हल करने के प्रति समर्पित हों.....।"[8]

लोकतंत्र के निचले स्तरों पर महिला–आरक्षण के पहले की स्थिति को देखें तो ज्ञात होगा कि जनान्दोलनों और विरोध प्रदर्शनों में महिलाएँ दिखायी तो दीं, लेकिन संस्थागत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी संख्या बहुत कम थी। जहाँ महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त थी वहाँ भी वे प्रमुख पदों पर नहीं आ सकीं। यदि वे किसी पद पर भी रहीं तो इससे महिलाओं के विकास के मुद्दे पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

राजनीतिक पहल पर किसी एक इन्दिरा गाँधी, बेनजीर, गोल्डामायार, मार्ग्रेट थैचर या आँग–सान–सूकी का उभरना महज अपवाद है। अब तक शक्तिशाली राजनीतिक पदों पर महिलाओं का पहुँचना सिर्फ संयोग ही था, समाज उनकी पीड़ा के प्रति अभी भी संवेदनशून्य है। ऊँची मृत्युदर, छोटा जीवनकाल, भूख, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता, हद से ज्यादा काम और शोषण आम तौर से यही महिलाओं के हिस्से में आया है।

इसलिए बौद्धिकता का तकाजा यही रहा कि महिलाओं को उचित आरक्षण दिया जाये ताकि जब वे जिम्मेदार पदों पर पहुँचेंगी तो उनके सामने एक नया संसार खुलेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनमें सत्ता और दायित्व की एक नयी समझ पैदा होगी। महिला अधिकार मानवाधिकारों का हिस्सा है। महिलाओं का सशक्तीकरण न केवल समानता बल्कि टिकाऊ आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी जरूरी है। यह केवल महिला अधिकारों के लिए महिलाओं की लड़ाई ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों की लड़ाई है और महिलाओं की समस्याएँ समस्त मनुष्य जाति की समस्याएँ हैं। आज महिलाएँ चाहती हैं कि उनके साथ एक व्यक्ति और एक सम्पूर्ण मानव के रूप में व्यवहार किया जाय, न इससे ज्यादा और न कम।

स्वामी विवेकानन्द ने कितना उचित कहा था–"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी का एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।"

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

स्त्रियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं और महत्ता को सहानुभूतिपूर्वक समझना और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना और नीतियाँ बनाना कदाचित् उस सत्ता द्वारा सम्भव नहीं है, जैसा कि अनुभव भी रहा है, जिसमें अधिकतर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा हो। स्त्रियाँ परिवार से और समाज से एक इकाई के रूप में और उसके एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ी हैं। देश के महिला आन्दोलन की लम्बे समय से माँग प्रबल रही कि औरतों को सही मायने में यदि बराबरी का दर्जा पाना है तो राजनीतिक मंचों पर और राजकाज के सभी स्तरों पर निर्णय–प्रक्रिया में उनकी भागीदारी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना बहुत जरूरी है। यही कारण रहा है कि 73वाँ संविधान संशोधन कर लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। यह संशोधन अधिनियम कई प्रकार से अद्वितीय है, परन्तु सम्भवतः इसका सबसे महत्त्वपूर्ण और चमत्कारी पहलू पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए इस प्रकार का आरक्षण है। यह आरक्षण 33 प्रतिशत तक किया गया है। कुछ राज्यों यथा– बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड में वर्ष 2006 से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। संसद द्वारा 2010 में 110वें संविधान संशोधन विधेयक को भी लोकसभा द्वारा मान्यता दी जा चुकी है जो महिलाओं के लिए पंचायतों के लिए पंचायतों के सभी स्तर की संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है।[10] इसका अर्थ यह नहीं कि वे इससे अधिक की संख्या में निर्वाचित नहीं हो सकती हैं। परन्तु आरक्षण की व्यवस्था किये बिना, उनके प्रति अब तक रहे सामाजिक रवैये और रूढ़िवादी परम्पराओं के रहते उनका घर–बार छोड़कर बाहर की राजनीति में हिस्सा लेना असम्भव नहीं, तो कदाचित् दुष्कर कार्य अवश्य था। पहली बात यह है कि बिना आरक्षण के वे स्वयं भी राजनीति में भाग लेना स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करतीं। जो स्त्रियाँ ऐसा चाहती भी हैं तो उन्हें परिवार के अन्य पुरुष सदस्य ऐसा करने से रोकते और उन्हें छद्म लोकलाज का भय दिखाकर उनका दायित्व घर–परिवार तक ही सीमित कर उन्हें उस अधिकार से वंचित कर देते हैं, जो देश और समाज के कल्याण के लिए महत्त्व रखता है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 73वें संविधान संशोधन विधेयक को जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिए यह आरक्षण पंचायत के पदाधिकारियों के पदों पर भी लागू हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश की पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पदों यथा– प्रधान, क्षेत्र प्रमुख एवं जिला पंचायत प्रमुख इत्यादि पर महिलाएँ पदासीन हुई हैं।

आरक्षण की यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो चुकी है। यदि हम सम्पूर्ण देश में किये गये 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान पर नजर डालें तो मोटे तौर पर स्थिति इस प्रकार है–

भारत में 33 प्रतिशत महिला–आरक्षण

ग्राम स्तर (कुल पंचायत)	2.48 लाख
कुल सदस्य	25 लाख
महिला सदस्य (एक तिहाई)	7.50 लाख
खण्ड स्तर (कुल पंचायत समितियाँ)	6595 लाख
कुल सदस्य (प्रति समिति 25)	1.50 लाख
महिला सदस्य	0.40 लाख
जिला स्तर (जिला परिषद्)	618
कुल सदस्य (प्रति जिला परिषद् 30)	13950
महिला सदस्य (एक तिहाई)	4650
तीनों स्तरों पर महिला सदस्य	13.41 लाख
महिला प्रधान	76000
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य	**7.45 लाख**
वर्ष 2015–16 के पंचायत चुनावों में निर्वाचित महिलाओं की स्थिति	
ग्राम पंचायत स्तर	43.86%(59062)
खण्ड स्तर	51.1%
जिला पंचायत स्तर	59.46%

महिला सशक्तीकरण में पंचायत की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरुआत वर्षों पहले हो गयी थी। गाँधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास नहीं था। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में सबसे पहले 1931 में महिला पदाधिकार और प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया। देश के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वाँ संविधान संशोधन हुआ तो पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख हुई। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पहले 33 प्रतिशत और अब 50 प्रतिशत आरक्षण देने से वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। अब वे न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं बल्कि समाज के हित में वाजिब फैसले भी ले रही हैं। 110वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत 10 राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का कारवां बिहार से चलकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा में भी पहुँच चुका है। ऐसे में केन्द्र की ओर से सभी राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने की पहल मील का पत्थर साबित हो रहा है।[11]निश्चित रूप से महिला सशक्तीकरण की दिशा में पंचायत ने अमूल्य योगदान दिया है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में पंचायत से शुरू हुआ कदम अब उच्च सदन तक पहुँच गया है। इस तरह देखा जाय तो पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तीकरण की शुरुआत हुई है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 33 प्रतिशत थी। लेकिन वे जीतकर आईं करीब 38 प्रतिशत। इस कदम से महात्मा गाँधी के स्वराज की अवधारणा हकीकत में बदलती नजर आयी। जनपद देवरिया में वर्तमान में जिला पंचायत स्तर पर 56 में से 25 अर्थात् 44.6% महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुईं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर 16 में से 9 अर्थात् 56.25% ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 1190 में से 507 अर्थात् 42.6% महिला प्रधानों की भागीदारी है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। सबसे ज्यादा खुशियाँ उन गाँवों में मनायी गयीं जहाँ पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी। लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में संविधान संशोधन कारगर हथियार साबित हुआ और पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बन सका। आधी आबादी को भी जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, जो संविधान में तो पहले से मिला था, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के चलते संविधान संशोधन में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो पीछे धकेल दिया जाता। जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कन्धे से कन्धा मिलाकर तरक्की में सहयोग दिया है। घर–परिवार हो या खेत–खलिहान, किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

केन्द्र की तत्कालीन यूपीए सरकार की ओर से लागू किया गया साझा न्यूनतम कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक न्याय के दो प्रमुख कार्यों के साथ पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिये जाने से स्थिति और चमकदार हुई। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से करीब 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ। देश में करीब 46 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुनी गयी हैं।[12]

केन्द्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना, ई–प्रशासन योजना आदि से गाँवों की तस्वीर बदलने लगी है। इससे जहाँ लोगों में जागरूकता आयी है, वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नयी पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की ओर से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाये जा रहे नित नये कदम से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरूकता आयी है और वे छोटे–छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही हैं और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। इस तरह यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तीकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायत में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पायी हैं। अब तो संसद तक उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भागीदारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000 में पूरे देश में महिला सरपंच 7,72,677 थी वहीं 2004 में उनकी संख्या 8,38,245 तक पहुँच गयी। इसी तरह पंचायत समिति में वर्ष 2000 में महिलाओं की संख्या 38,412 थी जो 2004 में 44,923 तक पहुँच गयी। आरक्षित सीटों के अलावा कई स्थानों पर सामान्य सीट पर भी महिलाएँ कब्जा जमाने में सफल रहीं। सरकार की ओर से पंचायत में मात्र 33% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जबकि आँकड़े बताते हैं कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यवार महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति देखें तो झारखण्ड में सर्वाधिक 59.18% महिला जनप्रतिनिधि हैं। केरल के कोडासरी पंचायत में तो 100% महिलाएँ ही पंचायत के सभी पदों पर काबिज हैं। इसी तरह आन्ध्र प्रदेश में 50%, असम में 50%, कर्नाटक में 53.4%, तमिलनाडु में 33.48%, उत्तरांचल में 57.83%, पश्चिम बंगाल में 49.88% महिलाओं की भागीदारी रही है। इस तरह औसत भागीदारी लगभग 40% से अधिक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी भी 33% निर्धारित आरक्षण से अधिक है। 2015 में प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी प्रधान पद पर 43.85%, पंचायत सदस्य के पद पर 39.89%, क्षेत्र प्रमुख पद पर 51.1%, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 41.47%, जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 59.46%, और जिला पंचायत सदस्य के पद पर 45.3% तक थी। वहीं अध्ययन क्षेत्र देवरिया जनपद में जिला पंचायत स्तर पर 56 में से 25

अर्थात् 44.6% महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुईं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर 16 में से 9 अर्थात् 56.25% ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 1190 में से 507 अर्थात् 42.6% महिला प्रधानों की भागीदारी थी।

ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजना एवं महिला सशक्तीकरण

नवीन पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य विचार बिन्दु यह है कि स्थानीय जरूरतों का निर्धारण और क्रियान्वयन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाय। स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास से स्वावलम्बन और आत्मसम्मान का विकास सुनिश्चित होगा। पंचायत के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की कल्पना 21वीं सदी में साकार होती दिख रही है। पहली बार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते पंचायतों के माध्यम से महिलाओं ने विकास में सीधी भागीदारी सुनिश्चित किया है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है। सरकार ने अपनी वित्त व्यवस्था का निर्धारण भी जेंडर बजट को ध्यान में रखकर करना शुरू किया है जिससे प्रत्येक योजना में होने वाले व्यय में महिलाओं का भाग सुनिश्चित हो रहा है। सरकार ग्रामीण विकास की कई योजनाएँ संचालित कर रही है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, इण्टिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यक्रम, किशोरी शक्ति योजना, सेक्सुअल ट्रायोमिटेड डिजीज, आशा (एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट), मुख्यमंत्री आर्थिक मदद योजना (केवल महिलाओं और विधुर), सावित्री बाई फूल बालिका शिक्षा मदद योजना (10वीं उत्तीर्ण होने पर एक साइकिल+10 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 15 हजार रुपये उसके खाते में सीधे सरकार द्वारा निर्गत कर दिया जाता है) आदि हैं।

ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने की एक अनोखी पहल की गयी है। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह भागीदार बनकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर उत्पादन–वितरण कर आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास किया गया है।

स्वयं सहायता समूह के लिए सर्वप्रथम 10 से 15 महिलाएँ आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह द्वारा ही समूह के संचालन के नियम बनाये जाते हैं। (सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष और सदस्य चुने जाते हैं) तत्पश्चात् समूह की प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह अपनी आय से एक निश्चित धनराशि (समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित) का योगदान देती है। इस धनराशि का प्रयोग समूह में आपस में श्रम वितरण के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्येक माह में पूर्व निर्धारित तिथि को समूह की बैठक एवं रणनीति पर कार्य वाही होती है। तीन माह के पश्चात् समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाता है। आगामी व्यवसाय के लिए सर्वप्रथम सी.सी.एल. (कैश क्रेडिट लिमिट) किया जाता है। इस बीच समूह की कौशल वृद्धि एवं सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी के लिए समूह को विकास खण्ड द्वारा समय–समय पर मार्ग निर्देशन एवं सहायता प्रदान किया जाता है। इस कार्य हेतु विकास खण्ड में सुविधादाता की नियुक्ति की जाती है जो समूहों को समय–समय पर बैठक, व्यवसाय एवं श्रम उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। पुनः बैंक द्वारा समूहों की ग्रेडिंग उनके कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है। समय–समय पर उनको प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा एक समूह को अधिकतम 2 से 5 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तथा 1 से 2.5 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इससे आर्थिक समृद्धि के साथ–साथ महिलाओं की परिवार और समाज में किये जाने वाले निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भागीदारी भी बढ़ी है।

महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को अधिक सार्थक व उपयोगी बनाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं की क्षमता व कौशल बढ़ाने की दिशा में कदम उठाये जायं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाय। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैंक से ऋण लेने, बैठकों में जाने और व्यावसायिक गतिविधियों में धन लगाने जैसे कामों के सिलसिले में बाहर जाना होता है और कुछ औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं। ये सभी काम वे तभी कुशलता से कर सकती हैं जब सरकारी तंत्र उन्हें प्रशिक्षण देकर समान मनोबल प्रदान कर गतिविधियों को चलाने के तौर–तरीके सिखाएं। सरकार, स्वयंसेवी संगठन, बैंक, पंचायतें और गाँवों के लोग ईमानदारी से महिलाओं को सहयोग करें तो निस्सन्देह यह अभियान महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी माध्यम बनेगा।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (निर्मल भारत अभियान) :

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ''स्वच्छता आजादी से महत्वपूर्ण हैं'' इस बात से इसके सापेक्ष महत्व को समझा जा सकता है। भारत में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाने तथा स्वच्छ पेयजल सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक प्रशंसनीय कार्य किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित यह अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना भारत को खुले में शौच करने वालों से मुक्त करने के लिए है। 2012 में इसका नाम परिवर्तित करके निर्मल भारत कर दिया गया, आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या खुले में शौच की है। स्वच्छ शौचालय बनवाने हेतु सरकार केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर वर्तमान में 12000 रू. अनुदान दे रही है, एवं महिला काम्प्लेक्स के माध्यम से इस समस्या का निदान करने में काफी मदद मिली है। यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि देवरिया जनपद में स्वच्छता आज भी द्वितीयक विषय बना हुआ है। यदि वे शौचालय बनाने में सक्षम हों तो भी वे शौचालय नहीं बनवाते हैं अपितु इस धनराशि का उपयोग टी.वी. एवं मोबाइल खरीदने में कर रहे हैं लेकिन बदली परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर परिवार में एक

शौचालय अवश्य बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार प्रोत्साहन स्वरूप गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को 1500 रुपये एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2250 रुपये तथा डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा में 4500 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करती है। जिन ग्रामों में शत–प्रतिशत परिवार शौचालय का प्रयोग करते हैं ऐसे ग्रामों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है जिसकी प्रोत्साहन राशि पांच लाख रुपये हैं।

पंचायती राज विभाग द्वारा कराये गये सर्वे 2009–10 में यह महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने वाले ग्रामों में आधे से अधिक गाँवों की मुखिया महिलाएँ थीं।[13]

बाल विकास एवं पुष्टाहार (0–6 वर्ष के लिए पूरक आहार की व्यवस्था)

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषाहार तथा शिशु को पूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। इन केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। सम्पूर्ण कार्यक्रम पंचायत की देख–रेख में होता है। एक तथ्य यह है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाएँ जब एकत्र होती हैं तो देखने में आया है कि वे एक–दूसरे की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर आपस में चर्चा करती हैं। यह परिचर्चा न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करती है बल्कि परिचर्चा सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महिलाओं को दृढ़ता भी प्रदान करती है।

किशोरी शक्ति योजना

यह योजना 16 वर्ष की बालिकाओं के लिए है। इससे इनको स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, यौनजनित रोगों की जानकारी देना एवं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दवाएँ एवं पोषाहार की व्यवस्था करना है। भारत में इस उम्र की लगभग 70 प्रतिशत बालिकाएँ कुपोषण से ग्रसित हैं। इस योजना के माध्यम से उनके पोषण की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना में किशोरियों के समूह का गठन कर उनमें से ही एक अध्यक्ष बनाया जाता है तथा आपसी चर्चा–परिचर्चा कराकर किशोरियों की समस्या को आपस में बाँटा जाता है, इस योजना में सेनेट्री पैड, आयरन, कैल्शियम टेबलेट, यौनजनित रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस योजना का लाभ जनपद देवरिया में यह हो रहा है कि इसका सीधा प्रभाव एवं प्रहार बाल विवाह पर पड़ रहा है।

आशा

यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित है। आशा कार्यकर्ता का चयन पाँच सौ की जनसंख्या पर उस गाँव के बहुसंख्यक समुदाय के किसी महिला का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस कार्यकर्ता को प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिया जाता है तथा उसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य किट उपलब्ध करायी जाती है। आशा कार्यकर्ता सर्वप्रथम उस क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर बच्चा पैदा होने तक उसकी देखभाल करती एवं उचित सलाह देती है। वह यह सुनिश्चित भी करती है कि शिशु का जन्म नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, ए.एन.एम. सेण्टर पर हो ताकि जच्चा–बच्चा दोनों की प्राण रक्षा हो सके। आशा कार्यकर्ता महिला होने के कारण ग्रामीण महिलाएँ पहली बार प्रसव के समय विभिन्न समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त कर पा रही हैं। कई आशा कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया कि महिलाएँ धीरे–धीरे उन्हें अपना सहयोगी समझने लगी हैं और जरूरत पड़ने पर स्वयं उनसे सम्पर्क भी करती हैं।

मुख्यमंत्री आर्थिक मदद योजना

इस योजना के अन्तर्गत गाँव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली किसी भी सामाजिक आर्थिक योजना से लाभान्वित न होते हों। इसमें चयनित परिवार से महिला मुखिया का चयन कर चार सौ रुपये प्रतिमाह उसके खाते में सीधे बैंक द्वारा अन्तरित कर दिया जाता है। महिला लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसने देवरिया जनपद में उन सभी परिवारों को आच्छादित किया है जो अभी तक किसी योजना से आच्छादित नहीं हैं।

सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना

यह योजना बी.पी.एल. परिवार को मिलने वाली कन्या शिक्षा योजना से सम्बन्धित है जिसके माध्यम से गरीब कन्याओं को शिक्षित कर उनके भविष्य निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

इस योजना से महिला सशक्तीकरण में मदद मिल रही है। किसी योजना का सर्वाधिक लाभ देवरिया जनपद में इसी योजना का मिल रहा है। क्योंकि यह योजना एक तरफ साइकिल का वितरण बालिकाओं को आगे पढ़ाने में मदद कर रही है वहीं नकद 1000–1500 रुपये की राशि परिवारों को भी बालिकाओं का नामांकन कराने के लिए प्रेरित कर रही है।

मनरेगा

यह योजना यद्यपि केन्द्र द्वारा संचालित है परन्तु राज्य और ग्रामीण जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती थी। इस योजना ने गाँवों में खुशहाली की नींव रखनी शुरू कर दी है। गाँव के परम्परागत ताल–पोखरे, वृक्षारोपण, कुएँ, गरीब जनता की खुशहाली, बाढ़ नियंत्रण, आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग, इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं। इस योजना में 100×100×100 की जो तार्किक प्रणाली अपनायी गयी है वही रोजगार सुनिश्चित करने का अनोखा पहल माना जा सकता है। योजना में 100×100×100 का अर्थ अगर किसी गाँव में 100 लोगों के पास जॉब कार्ड है तो उन्हें 100 दिन का रोजगार, 100 रुपये की दर से यह योजना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में अगर 220 रूपये से उपर है।

म्नरेगा योजना में एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए पालना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पुरुषों के बराबर मजदूरी की व्यवस्था भी की गयी है। कार्यस्थल पर यदि पाँच से अधिक महिलाएँ 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे लेकर आती हैं तो एक महिला इन बच्चों की देखभाल भी करेगी और उसे मजदूरी पूरी मिलेगी। इस कारण न केवल महिलाओं के अपने कार्य का नकदी भुगतान मिल रहा है बल्कि वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो रही हैं तथा उनके बच्चों की देखभाल उनके कार्य में बाधा भी नहीं बन रही है। आर्थिक समृद्धि के कारण परिवार में भी महिलाओं की भूमिका बदली है। अपनी पसन्द और जरूरतों को भी उन्होंने परिवार में व्यक्त करना प्रारम्भ किया है।

आपदा प्रबन्धन

देश में कई प्रकार की मानवीय एवं प्राकृतिक दुर्घटनाएँ होती हैं जिनका अन्तिम प्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ता है। आपदा में मानवीय समाज ऐसे बिखर जाता है कि जीवन जैसी अद्‌भुत ईश्वरीय उपहार भी निरर्थक लगने लगता है। आपदा पर मानव सभ्यता का कोई वश नहीं और वह इसका ज्ञान प्राप्त कर इससे बचने का उपाय ही कर सकती है। हमने बचपन से बड़े होने तक अनेक आपदाओं और उनसे होने वाले विनाशकारी परिणामों को देखा है; यथा– मानवीय आपदा में सड़क दुर्घटना, मकान गिरना, आग लगना, उद्योगों से (यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस काण्ड), कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से और प्राकृतिक आपदाओं में महामारियाँ, जानवरों की बीमारी, फसल की बीमारी, भूकम्प, बिजली गिरना, बाढ़, सूखा, अकाल, हिंसक जानवरों का उत्पात तथा अन्य आपदाओं में दंगा–फसाद या झगड़ा, अन्धविश्वास, ठगों–चोरों व डाकुओं का आतंक।

इन आपदाओं से निपटने और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए पंचायतें सक्षम होनी चाहिए। पंचायतों में ऐसी तैयारियाँ रखनी चाहिए कि कोई दुर्घटना घटे ही नहीं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उन पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

चूँकि इन आपदाओं में पूरा समाज प्रभावित होता है लेकिन आपदा का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर पड़ता है। जरूरत इस बात की भी है कि महिलाओं को आपदा की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाय जिससे कि वे इससे निपटने में सक्षम हो सकें। "अनेक ग्रामीण योजनाओं के साथ–साथ गाँव में 'आपदा पुनर्वास केन्द्र' स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इस केन्द्र में दवाई, भोजन, पानी, टेण्ट, कपड़ा, कम्बल जैसी सामग्री का भण्डारण सुनिश्चित हो जिससे कि गाँव अपने ऊपर पड़ने वाले संकट के समय इनका उपभोग कर सके।"

ग्रामीण शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के स्थानीय प्रसार का सिलसिला बहुत पहले 1882 में लॉर्ड रिपन के ऐतिहासिक प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ था। हण्टर आयोग (1882) ने शिक्षा का व्यय, निरीक्षण, प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा था। कोठारी कमीशन (1966) ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के रूप में सारे राज्यों का तात्कालिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्थानीय जनसमुदाय को अर्थात् देहाती क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं को उनके स्थानीय स्कूलों के साथ सहयोजित किया जाये और सारे व्यय की व्यवस्था का दायित्व उन्हीं का रहे। इसके लिए राज्यों से वे आवश्यकतानुसार उपयुक्त सहायक अनुदान प्राप्त करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में कहा गया है कि 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयंसेवी संस्थाएँ और पंचायती राज की संस्थाएँ करेंगी। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजन, समन्वयन, मॉनिटरिंग, तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियाँ सहभागिता निभाएँगी। राममूर्ति समिति (1990) के विचार में तीन मुख्य बातें आयी हैं– शिक्षा का सर्वांगीकरण, व्यवसायीकरण, तथा विकेन्द्रीकरण। शिक्षा योजना तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में हर स्तर पर केन्द्र से राज्य स्तर पर, राज्य से जिला स्तर पर, जिले से खण्ड स्तर पर और खण्ड से गाँव तथा बस्ती पर विकेन्द्रीकरण करने की जरूरत है।

श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 'शिक्षा का विकेन्द्रित प्रबन्ध' पर गठित समिति ने जिला, ब्लॉक और गाँव स्तर पर शिक्षा के प्रबन्ध हेतु पंचायती राज संस्थाओं के सन्दर्भ में व्यापक स्तर पर दिशा–निर्देश बनाये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तहत एन.सी.ई.आर.टी. ने भी ग्राम पंचायत, ताल्लुक पंचायत, जिला पंचायत को शिक्षा सम्बन्धी कार्यों व शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान का बेहतरीन उपकरण माना है। समिति ने यह सुझाव दिया कि विकेन्द्रीकरण निचले स्तर पर नौकरशाही बोझ न बने इसलिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता जरूरी है।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेन्द्रीकरण की विचारधारा में शिक्षा को भी महत्त्व दिया गया है। गाँव की शिक्षा व विद्यालयों की व्यवस्था की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर स्थानीय समुदाय का महत्त्व भी शिक्षा व्यवस्था में समझा गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा व पुस्तकालय शामिल है जिनमें पंचायती राज संस्थाएँ कार्य कर सकती हैं, 'पंचायती राज और शिक्षा : एक सम्भावित अवधारणा' का जन्म हुआ।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2008 को जिला परिषद् व पंचायत समिति अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था– "पंचायतें सभी के लिए शिक्षा अभियान में स्थानीय स्कूलों की योजना के प्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।"[14]

इन प्रयासों के तहत अब हम देश के सभी रिहायशी भागों में स्कूल खोल सकते हैं। हमने पूरे देश में 'मिड–डे–मील' योजना शुरू की है। पोषण खाद्य कार्यक्रमों में खास ध्यान देने की जरूरत है। 'अन्तर्निहित बाल विकास योजना' में स्थानीय पंचायतों को शामिल करना चाहिए। इस तरह पंचायतों को सीधे तौर पर सहभागिता के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों में महत्त्व दिया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्वशिक्षा अभियान के तहत पंचायतों को सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन, मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। नयी अवधारणा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम सभाओं की उपसमितियों के रूप में ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्कूल प्रबन्धन तथा विकास समितियाँ गठित की गयी हैं। 86वें संविधान विधेयक द्वारा अनुच्छेद 21–क जोड़कर शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की नियुक्ति भी ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। राज्य में शिक्षा गारण्टी योजना के विशेष अधिकार भी पंचायतों को दिये गये जिससे स्कूलों में योजना की तत्काल आपूर्ति ग्रामसभा द्वारा योग्य उम्मीदवार मानकर किया जाय, अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में आठवीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है। राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश का पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी, पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेंगी, यह सुनिश्चित करेंगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों, लड़कियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केवल विद्यालयों में ही सक्रिय व उचित भूमिका निभाने पर विद्यालयों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है। पंचायतों को अन्य सामाजिक, कल्याणकारी व विकास कार्यों की ओर भी ध्यान देना होगा, तभी वह विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई का माहौल बना सकती हैं। इसलिए पंचायतों को गाँव के सम्पूर्ण विकास की ओर ध्यान देना होगा ताकि अभिभावक चिन्तामुक्त होकर बच्चों को पढ़ा सकें। शोध कार्य के समय यह स्पष्ट रूप से दिखा कि निरक्षर महिलाएँ भी अपने पाल्यों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। महिलाएँ लड़कों के साथ–साथ लड़कियों को भी शिक्षित करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। निरक्षरता के बावजूद महिलाओं का मानना है कि बिना ज्ञान अर्जित किये उनके पाल्य प्रगति नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की है। गरीब मजदूर भी पैसे जोड़कर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सर्वाधिक लाभ देवरिया जनपद में लड़कियों को हुआ है। लोग बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। 1991 से 2001 के मध्य जनपद देवरिया में स्त्री साक्षरता दो गुनी हुई है।[15]

ई–गवर्नेस और पंचायती राज

सूचना का अधिकार कानून आम जनता के लिए व्यवस्था में आशा की किरण है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले लोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को लेकर जागरूक नहीं थे तो इसके पीछे दो मुख्य कारण थे; प्रथम– लोगों की गोपनीय दस्तावेजों तक पहुँच नहीं थी, द्वितीय– एक काम के लिए विभिन्न विभागों का चक्कर काटना पड़ता था। अब इस स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। ई–गवर्नेस के माध्यम से नागरिकों की सही मायने में सेवा हो सकती है जिससे कि वे सूचना राजमार्ग का लाभ उठा सकें, इसी कारण सरकार का प्रयास है कि गाँवों में पंचायत भवन में कम्प्यूटर की व्यवस्था कर इण्टरनेट का परिचालन किया जाय जिससे कि सरकारी योजना की जानकारी ग्रामीण जनता को सही और जल्दी मिल सके।

गाँवों में ई–गवर्नेस के माध्यम से सर्वाधिक लाभ महिलाओं को होगा। महिलाएँ आम तौर पर घर से बाहर कम ही जाती हैं। इस कारण उनकी किसी प्रकार की सूचना का माध्यम परिवार, पड़ोस या रिश्तेदार होते हैं जबकि ई–गवर्नेस से महिलाएँ स्वयं सम्पूर्ण जानकारी सीधे मूल स्रोत से प्राप्त कर सकती हैं।

ई–गवर्नेस के माध्यम से ग्रामीण स्त्री–पुरुष अपने चुने गये प्रतिनिधियों तथा सरकारी नुमाइंदों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। जनसाधारण राजकीय आर्थिक सहायता योजना, सफाई, रोजगार, अपने उत्पाद की कीमत, शिक्षा के बारे में जिज्ञासा शान्त कर सकते हैं। पंचायतें अपनी जरूरतों तथा कार्यप्रणाली को सरकार तक पहुँचा सकती हैं।

ग्राम न्यायालय

ग्लेडस्टोन का कथन है– "न्याय में देरी न्याय से मना करने के समान है।" (जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड)। यदि हम भारतीय न्याय तंत्र से सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि भारत में सामान्यतः 1–5 वर्ष और कभी–कभी 10–15 वर्ष तक मुकदमों को निपटाने में लग जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया है जो कि जम्मू–कश्मीर, नागालैण्ड, अरुणांचल प्रदेश तथा जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में 2008–09 में लागू हो चुका है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनके द्वार पर और सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से बाधित हुए बिना सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। निस्सन्देह समीप और सस्ता न्याय से सर्वाधिक लाभ महिलाओं को होगा। दमित, उत्पीड़ित तथा वंचित होने पर भी महिलाएँ न्यायालयों की दुरूह प्रक्रिया के कारण न्याय की गुहार नहीं कर पाती हैं। लेकिन न्याय प्रक्रिया की सक्रियता के साथ–साथ महिलाओं की सक्रियता भी न्याय के दरवाजे तक जाने के लिए निस्सन्देह बढ़ेगी।

मातृत्वअनुदान योजना

यह योजना गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करती है जिससे इन महिलाओं की गर्भधारण करते समय जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस योजना में 19 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिला को प्रथम प्रसव के समय 4000 रुपये तथा द्वितीय प्रसव के समय 10000 रुपये की आर्थिक मदद इस शर्त पर दी जाती है कि दूसरे बच्चे के जन्म और पहले बच्चे के जन्म में तीन वर्ष का अन्तराल हो, और प्रसव हेतु छुट्टी नहीं ली है। यह योजना एक तरफ तो गर्भावस्था में अल्प जरूरतों को पूरा कर रही है दूसरी ओर इससे महिलाओं को भी बच्चों के जन्म में अन्तर के लाभ का पता चल रहा है।

महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को किया गया।[16] आयोग को महिलाओं के अधिकारों और उन्नति को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी कार्य सौंपे गये हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया है जो प्रत्येक महिला की सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है जिससे महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण, दमन से आजादी मिल सके।

पंचायतों के सषक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रम

पंचायती राज संस्थाएँ भारत में लोकतंत्र की मेरुदण्ड हैं। निर्वाचित स्थानीय निकायों के लिए विकेन्द्रीकरण, सहभागिता और समग्र नियोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने और इन्हें सार्थक रूप प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अनेक कदम उठाये हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकेन्द्रीकरण, सहभागिता और समग्र नियोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देना है जिससे विकास के अन्तर को समाप्त किया जा सके।

ई–गवर्नेस परियोजना

आधार परियोजना के सहायक के रूप हैं।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिषत आरक्षण

महिलाओं को व्यापक भागीदारी देने के लिए तथा वर्ग, जाति और लिंग की वर्जनाओं से मुक्त करने के प्रयास में 110वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे अनु. 243छ में संशोधन करके महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे 26 नवम्बर 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

ग्रामसभा वर्ष

स्वशासन में ग्रामसभाओं और ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के महत्त्व को देखते हुए 2008–09 से 2009–10 तक की अवधि को ग्रामसभा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

न्याय पंचायत विधेयक 2010

वर्तमान न्याय प्रणाली लम्बी प्रक्रियाओं से लदी हुई, तकनीकी और मुश्किल से समझ आने वाली है जिससे निर्धन लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं ले पाते, इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने न्याय पंचायत विधेयक 2010 प्रस्तुत किया।

पंचायत महिला षक्ति अभियान

यह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाने की योजना है ताकि वे समाज व राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर काम कर सकें, जो उन्हें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में सक्रियता से भाग लेने से रोकते हैं।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र योजना

भारत में तेजी से हो रही आर्थिक विकास को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पहुँचाने के लिए वर्ष 2007 में आर.बी.एच. योजना प्रारम्भ की गयी। जिन स्थानों पर महिलाएँ अशिक्षित हैं वहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नहीं मिली तो यह प्रगति हकीकत में सर्वसुलभ नहीं होगी। गाँवों में स्वतंत्र चेतना विकसित करने की जरूरत है। अब ग्राम विकास के सभी क्षेत्र पंचायतों के अधीन कर दिये गये सिर्फ इतने अधिकार मिल जाने से समस्या कम नहीं होगी बल्कि सहज ढंग से रास्ता तय करना होगा। सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसके लिए कौशल की जरूरत है। एक समझ की जरूरत है जिससे योजना तैयार की जा सके और क्रियान्वित की जा सके। अगर गाँव में इसके लिए सही रास्ता नहीं तैयार किया जाय तो पंचायती राज की वह सम्भावना नष्ट हो जाएगी, जो गाँव के लिए सकारात्मक भूमिका लेकर आयी है। इसलिए यह सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है। ग्राम पंचायत को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए हर मतदाता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पंचायती राज के गर्भ में कई सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इसके माध्यम से हम पूरे सामाजिक ढाँचे को बदल सकते हैं बशर्ते हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। भारत का भविष्य सच्चे लोकतंत्र का भविष्य हो, इसके लिए हर व्यक्ति कोअपने स्तर पर तैयार रहना होगा। गाँव के स्तर पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना होगा।

सन्दर्भः

1. *गावा, ओ.पी. :'राजनीतिक चिन्तन की रूपरेखा'*
2. *डॉ. कपूर, प्रमिला : युवा हिन्दू शिक्षित कार्यरत महिलाओं के अभिमत में परिवर्तन का समाज – मनोवैज्ञानिक अध्ययन, 1960, पृ. 73*
3. *डॉ. जोशी, आर.पी. – डॉ. रूपा मांगलिक, 'भारत में पंचायती राज', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, वर्ष 2007, पृ. 85*
4. *पाण्डेय, एस.के. : 'आधुनिक भारत', प्रयाग एकेडमी गोविन्दपुर, इलाहाबाद, पृ. 187*
5. *डॉ. जोशी, आर.पी. – डॉ. मांगलिक, रूपा : 'भारत में पंचायती राज', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, वर्ष 2007, पृ. 85*
6. *वही*
7. *डॉ. कपूर, प्रमिला : युवा हिन्दू शिक्षित कार्यरत महिलाओं के अभिमत में परिवर्तन का समाज – मनोवैज्ञानिक अध्ययन, 1960, पृ. 74*
8. *डॉ. जोशी, आर.पी. – डॉ. मांगलिक, रूपा : 'भारत में पंचायती राज', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, वर्ष 2007, पृ. 85*
9. *डॉ. जोशी, आर.पी. – डॉ. मांगलिक, रूपा : 'भारत में पंचायती राज', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, वर्ष 2005, पृ. 5*
10. *कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अक्टूबर 2010*
11. *कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अक्टूबर 2010*
12. *देवरिया दर्पण, संपादक हंसूराम, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, वर्ष 2007, पृ. 8*
13. *अमर उजाला, 29 अगस्त 2010, रिपोर्ट*
14. *योजना एवं 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय', मई 2008, पृ. 23*
15. *संख्य पत्रिका, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देवरिया, 2008*
16. *महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट IV 1991–1992*